

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
57 / 25 / TEH

तारीख दायरा
01-05-2025

तारीख पेशी
30-05-2025

प्रार्थी जोगिनद्र कुमार पुत्र श्री रसीला राम, निवासी महाल झिकली इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल झिकली इच्छी, पटवार वृत्त इच्छी खास, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम रूको देवी दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी की माता का सही नाम रूकमणी देवी विधवा रसीला राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का सही नाम रूको की बजाए रूकमणी देवी विधवा रसीला राम निवासी महाल झिकली इच्छी, पटवार वृत्त इच्छी में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
58 / 25 / TEH

तारीख दायरा
01-05-2025

तारीख पेशी
30-05-2025

प्रार्थी गुरचरण सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी महाल जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल जमानाबाद, पटवार वृत्त जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गुरचरण दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का सही नाम गुरचरण सिंह पुत्र मोती पुत्र दासा दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम गुरचरण की बजाए गुरचरण सिंह पुत्र मोती राम, निवासी महाल जमानाबाद, पटवार वृत्त जमानाबाद में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 30-05-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
61 / 25 / TEH

तारीख दायरा
21-05-2025

तारीख पेशी
20-06-2025

प्रार्थी अंजन कुमार पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी महाल मिहालू, डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मिहालू, पटवार वृत्त जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम विशनू दर्ज है जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का सही नाम त्रिलोक सिंह पुत्र गुलावा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम विशनू की बजाए विशनू उपनाम त्रिलोक सिंह पुत्र गुलावा, निवासी महाल मिहालू, पटवार वृत्त जमानाबाद दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
60 / 25 / TEH

तारीख दायरा
21-05-2025

तारीख पेशी
20-06-2025

प्रार्थिया श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री हंस राज, निवासी महाल सौहड़ा, डा0 इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल सौहड़ा, पटवार वृत्त जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम अंजू देवी दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का सही नाम रीना देवी पुत्री हंस राज दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही नाम अंजू देवी की बजाए अंजू उपनाम श्रीमती रीना देवी पुत्री हंस राज, निवासी महाल सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल, निवासी गांव कोटकवाला, डा0 जमानाबाद, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके बेटे का नाम आधार कार्ड में कार्तिक दर्ज है, जोकि गलत है। जबकी प्रार्थी अपने बेटे का सही नाम आधार कार्ड में अकार्तिक (AKARTIK) दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, शपथ-पत्र व रिकार्ड कागजात को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी के बेटे का सही नाम कार्तिक की बजाए अकार्तिक (AKARTIK) पुत्र अनिल कुमार दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने बारे किसी को कोई एतराज है तो वह अपना एतराज दिनांक 06-06-2025 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत जमानाबाद में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0), सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
59/25/TEH

तारीख दायरा
21-05-2025

तारीख पेशी
20-06-2025

प्रार्थी राजीव कुमार पुत्र श्री किकर सिंह पुत्र परम राम, निवासी महाल मैरा, तहसील व जिला कांगड़ा
(हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल मैरा, पटवार वृत्त नंदरूल, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सतपाल दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का सही नाम किकर सिंह पुत्र परस राम दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम सतपाल की बजाए सतपाल सिंह उपनाम किकर सिंह पुत्र परस राम पुत्र वेली, निवासी महाल मैरा, पटवार वृत्त नंदरूल में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20-06-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :
19/RNTK/2025

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
30-05-2025

शशी पाल पुत्र गगन सिंह, निवासी महाल नडोली खास, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थी शशी पाल ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल नडोली खास में क्रमशः शशी पाल सिंह पुत्र घोघा दर्ज है। जबकि तमाम रिकार्ड में क्रमशः शशी पाल पुत्र गगन सिंह दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2020-21 महाल नडोली खास, स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि शशी पाल सिंह पत्र घोघा की बजाये शशी पाल सिंह उर्फ शशी पाल पुत्र घोघा उर्फ गगन सिंह किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30-05-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02-05-2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सुरेन्द्र कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मकफूद-उल-खबरी

तारीख पेशी : 02-06-2025

निर्मला देवी पत्नी मेहर सिंह पुत्र खुशी राम, निवासी महाल सासन, मौजा भड़ोली, उप-तहसील भड़ोली हाल वासी महाल नंगल, डा0 बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा वादिया।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

इश्तहार.—मकफूद-उल-खबरी।

सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार मकफूद-उल-खबरी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादिया ने इस कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पति मेहर सिंह पुत्र खुशी राम पुत्र अमी चन्द, निवासी महाल नंगल, डा0 बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) पिछले लगभग 35 वर्षों से लापता है। जिसकी काफी खोजबीन करने के उपरान्त भी कोई सुराग नहीं मिला है तथा न ही आज दिन तक उसके जीवित होने की खबर मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि वह अब इस दुनिया में जीवित न है। इसलिए प्रार्थिया अपने पति मेहर सिंह पुत्र खुशी राम की जहां कहीं भी मलकीयति भूमि दर्ज कागजात माल हो उनके वारसान के नाम बजरिया मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल दर्ज करवाकर हस्तान्तरित करवाना चाहती है।

अतः इस बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर किसी को भी उक्त श्री मेहर सिंह पुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव नंगल, डाकघर बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जीवित होने बारे

सूचना या गुमशुदा बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-06-2025 से पहले अधोहस्ताक्षरी की अदालत में अपने आक्षेप/उजर दर्ज करवा सकता है। आपत्ति न होने की सूरत में श्री मेहर सिंह पुत्र खुशी राम, निवासी महाल नंगल बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के वारसान के नाम भूमि बजरिया मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल हस्ताक्षरित कर दी जाएगी।

आज दिनांक 02-05-2025 को मेरी अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

सुरेन्द्र कुमार,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 05/2025

तारीख पेशी : 05-06-2025

सोनिका कुमारी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी गांव सालन, डाकघर सालन, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बलोह, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय:- जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी सोनिका कुमारी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी गांव सालन, डाकघर सालन, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत बलोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-03-1985 को गांव सालन, ग्राम पंचायत बलोह में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत बलोह को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सोनिका कुमारी की जन्म तिथि 25-03-1985 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-06-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उपरोक्त सोनिका कुमारी की जन्म तिथि 25-03-1985 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, बलोह को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक 05-05-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।